

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान वेदप्रकाश बनाम श्याम श्याम आदि

प्रकरण संख्या 86 / 2020 अन्तर्गत धारा 53, 92A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालना में
5 16/24	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रोक-र कर उ वार आवाम लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 92A RTA अदम चैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि होकर गम्बर से कम होकर वापिल पत्र हो</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर